



कोविड-19 के बाद ग्रामीण-शहरी विकास का पुनर्संतुलन: भारत और यूरोपीय संघ के
अनुभवों का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. सर्वेश्वर पांडेय

पूर्व डॉक्टरल आईसीएसएसआर फेलो

राजनीति विज्ञान विभाग, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिहार

Abstract

कोविड-19 महामारी केवल एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट नहीं थी; उसने आधुनिक विकास-व्यवस्था, शहरीकरण, श्रम-प्रवास, आपूर्ति-शृंखला, सामाजिक सुरक्षा और स्थानीय शासन की संरचनात्मक कमजोरियों को भी उजागर किया। भारत में महानगरों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर प्रवासी श्रमिकों की अचानक वापसी ने यह स्पष्ट किया कि ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्थाएँ अलग-अलग इकाइयाँ नहीं, बल्कि परस्पर निर्भर विकास-तंत्र के हिस्से हैं। दूसरी ओर, यूरोप में महामारी के दौरान दूरस्थ कार्य, छोटे नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आवासीय झुकाव, स्थानीय खाद्य प्रणालियों की उपयोगिता तथा सामुदायिक सहयोग ने शहर-केंद्रित विकास मॉडल की सीमाओं पर नया विमर्श आरम्भ किया।

यह शोध-पत्र भारत और यूरोपीय संघ के कोविड-पश्चात ग्रामीण-शहरी विकास संबंधी दृष्टिकोणों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। भारत के संदर्भ में ग्रामीण बुनियादी ढाँचे, PURA मॉडल, डिजिटल कनेक्टिविटी, स्थानीय रोजगार, प्रवासी श्रमिकों की पोर्टेबल सामाजिक सुरक्षा, छोटे नगरों के विकास तथा विकेंद्रीकृत शासन की आवश्यकता का अध्ययन किया गया है। यूरोपीय संघ के संदर्भ में *Long-Term Vision for the EU's Rural Areas 2040*, Rural Action Plan, Rural Pact, स्मार्ट विलेज, डिजिटल परिवर्तन, ग्रामीण प्रभाव परीक्षण तथा स्थानीय भागीदारी पर विचार किया गया है।

अध्ययन का मुख्य तर्क यह है कि भविष्य का टिकाऊ विकास न तो पूर्णतः शहर-केंद्रित हो सकता है और न ही ग्रामीण आत्मनिर्भरता को शहरी अर्थव्यवस्था से अलग करके प्राप्त किया जा सकता है। आवश्यक है कि गाँव, कस्बे, छोटे नगर और महानगर आर्थिक, सामाजिक, डिजिटल तथा संस्थागत रूप से जुड़े हुए बहु-केंद्रीय विकास नेटवर्क के रूप में कार्य करें। महामारी से प्राप्त अनुभवों के आधार पर शोध-पत्र भारत के लिए एक ग्रामीण-शहरी मिश्रित विकास मॉडल का प्रस्ताव करता है, जिसमें स्थानीय उत्पादन, क्षेत्रीय आपूर्ति-शृंखला, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, सामाजिक सुरक्षा की पोर्टेबिलिटी, सुदृढ़ स्थानीय सरकार और स्थान-विशेष पर आधारित नीति-निर्माण केंद्रीय तत्व हों।

Keywords: कोविड-19, ग्रामीण-शहरी संबंध, प्रवासी श्रमिक, PURA, ग्रामीण पुनर्जीवन, स्मार्ट विलेज, यूरोपीय संघ, डिजिटल कनेक्टिविटी, स्थानीय शासन, संतुलित विकास।



1. प्रस्तावना

कोविड-19 महामारी ने 21वीं सदी की विकास संबंधी अनेक स्थापित धारणाओं को चुनौती दी। वैश्वीकरण, महानगरीकरण और लंबी अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति-शृंखलाओं को आधुनिक आर्थिक दक्षता का आधार माना जाता रहा था। बड़े शहरों को नवाचार, वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और रोजगार का प्रमुख केंद्र समझा गया। इसके विपरीत, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रायः कृषि, प्राथमिक उत्पादन और श्रम-आपूर्ति से संबंधित पिछड़े क्षेत्रों के रूप में देखा गया। महामारी ने इस द्वैतवादी दृष्टिकोण की सीमाएँ सामने ला दीं।

जब संक्रमण नियंत्रण के लिए लॉकडाउन, यातायात प्रतिबंध और आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई, तो शहरों में काम करने वाले लाखों अनौपचारिक और प्रवासी श्रमिकों की आजीविका अचानक समाप्त हो गई। महानगरों में रहने के बावजूद उन्हें पर्याप्त आवास, भोजन, स्वास्थ्य सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण उपलब्ध नहीं था। रोजगार समाप्त होते ही उनका शहरों से संबंध कमजोर पड़ गया और वे अपने गाँवों की ओर लौटने के लिए विवश हुए। इस घटनाक्रम ने प्रदर्शित किया कि शहरों की आर्थिक सफलता बड़ी मात्रा में उन श्रमिकों पर निर्भर है, जिन्हें शहरी नियोजन में स्थायी नागरिक के रूप में पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया था।

दूसरी ओर, ग्रामीण क्षेत्रों ने लौटे हुए प्रवासियों, परिवारों और अस्थायी बेरोजगारों को सामाजिक आश्रय प्रदान किया। ग्रामीण परिवारों, कृषि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, स्वयं सहायता समूहों तथा पंचायतों ने संकट को सीमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं, डिजिटल कनेक्टिविटी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गैर-कृषि रोजगार और प्रशासनिक क्षमता की कमी भी स्पष्ट हुई।

यूरोप में महामारी का अनुभव कुछ मामलों में भिन्न, किंतु व्यापक दृष्टि से समान था। प्रारम्भिक संक्रमण बड़े और वैश्विक रूप से जुड़े शहरों में तेजी से फैला। दूरस्थ कार्य की सुविधा प्राप्त लोगों में अधिक खुले स्थान, हरित परिवेश और कम भीड़ वाले छोटे नगरों अथवा ग्रामीण इलाकों में रहने की रुचि बढ़ी। इसी समय ग्रामीण यूरोप की पुरानी समस्याएँ—जनसंख्या में गिरावट, वृद्धावस्था, स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित उपलब्धता, परिवहन की कमी और डिजिटल विभाजन—भी सामने आईं। परिणामस्वरूप यूरोपीय संघ ने ग्रामीण क्षेत्रों को केवल कृषि सहायता प्राप्त करने वाले भूभाग के रूप में नहीं, बल्कि हरित संक्रमण, डिजिटल अर्थव्यवस्था, सामाजिक नवाचार और क्षेत्रीय लचीलेपन के केंद्र के रूप में देखने की प्रक्रिया तेज की।

इस प्रकार महामारी ने एक बुनियादी प्रश्न उठाया: क्या विकास को शहर और गाँव के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में देखना उचित है? यह शोध-पत्र तर्क देता है कि शहर विकास के इंजन हो सकते हैं, परंतु गाँव और छोटे नगर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की सामाजिक, पारिस्थितिक और खाद्य-सुरक्षा संबंधी रीढ़ हैं। इंजन और रीढ़ दोनों के सुदृढ़ होने पर ही कोई समाज महामारी, जलवायु आपदा, आर्थिक मंदी या आपूर्ति-शृंखला में व्यवधान जैसे झटकों का सामना कर सकता है।



2. अध्ययन के उद्देश्य और पद्धति

इस शोध-पत्र के प्रमुख उद्देश्य हैं:

1. कोविड-19 के दौरान भारत में प्रकट हुई ग्रामीण-शहरी विकास संबंधी संरचनात्मक कमजोरियों का विश्लेषण करना।
2. प्रवासी श्रम, सामाजिक सुरक्षा, स्थानीय रोजगार और ग्रामीण बुनियादी ढाँचे के परस्पर संबंधों को समझना।
3. यूरोपीय संघ की ग्रामीण दृष्टि 2040 तथा कोविड-पश्चात ग्रामीण पुनर्जीवन की नीतियों का अध्ययन करना।
4. भारत और यूरोपीय संघ के अनुभवों की तुलना करके भारत के लिए एक समन्वित ग्रामीण-शहरी विकास मॉडल प्रस्तुत करना।
5. भविष्य की महामारियों और अन्य आपदाओं के संदर्भ में क्षेत्रीय लचीलापन बढ़ाने के उपाय सुझाना।

अध्ययन मुख्यतः वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक और तुलनात्मक पद्धति पर आधारित है। इसमें भारत सरकार, नीति आयोग, यूरोपीय आयोग, OECD तथा अन्य संस्थागत रिपोर्टों का द्वितीयक विश्लेषण किया गया है। भारत और यूरोपीय संघ की सामाजिक तथा प्रशासनिक परिस्थितियाँ समान नहीं हैं; इसलिए तुलना का उद्देश्य किसी एक मॉडल को दूसरे पर आरोपित करना नहीं, बल्कि समान चुनौतियों, अलग-अलग नीतिगत प्रतिक्रियाओं और उपयोगी संस्थागत शिक्षाओं की पहचान करना है।[1]

3. कोविड-19 और शहर-केंद्रित विकास मॉडल का संकट

आधुनिक शहरी अर्थव्यवस्था श्रम की गतिशीलता, उच्च जनसंख्या घनत्व, केंद्रीकृत परिवहन, विस्तृत सेवा क्षेत्र तथा दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाली खाद्य और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर आधारित है। सामान्य परिस्थितियों में यह व्यवस्था आर्थिक उत्पादकता बढ़ाती है, लेकिन महामारी जैसी आपदा में यही विशेषताएँ जोखिम उत्पन्न कर सकती हैं।

उच्च जनसंख्या घनत्व अपने आप संक्रमण का कारण नहीं होता; सुव्यवस्थित, समृद्ध और स्वास्थ्य सुविधाओं से युक्त घने शहर भी सुरक्षित हो सकते हैं। वास्तविक समस्या तब उत्पन्न होती है जब घनत्व के साथ भीड़भाड़, अपर्याप्त आवास, साझा स्वच्छता सुविधाएँ, असुरक्षित कार्यस्थल, वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी जुड़ी हो। अतः महामारी से यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि शहरीकरण स्वभावतः हानिकारक है। सही निष्कर्ष यह है कि असमान, अनियोजित और सामाजिक सुरक्षा से रहित शहरीकरण अधिक संवेदनशील होता है।



भारत के महानगरों में बड़ी संख्या में श्रमिक किराये के छोटे कमरों, झुग्गी-बस्तियों या कार्यस्थल से जुड़े अस्थायी आवासों में रहते हैं। उनके रोजगार, निवास और सामाजिक सुरक्षा के बीच स्थायी संस्थागत संबंध नहीं बन पाया है। जब आर्थिक गतिविधियाँ रुकीं, तो आय के साथ भोजन और आवास भी संकटग्रस्त हो गए। अनेक श्रमिकों के राशन कार्ड उनके गृह राज्यों में पंजीकृत थे। इससे स्पष्ट हुआ कि कल्याणकारी योजनाएँ प्रशासनिक सीमाओं और स्थायी निवास पर आधारित थीं, जबकि श्रम-बाजार गतिशील तथा अंतरराज्यीय हो चुका था।

महामारी ने शहरी आपूर्ति-शृंखला की नाजुकता भी सामने रखी। महानगर प्रायः खाद्यान्न, दूध, सब्जियों, श्रम, ऊर्जा और निर्माण सामग्री के लिए दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों पर निर्भर रहते हैं। परिवहन बंद होने या श्रमिकों की अनुपलब्धता से उत्पादन तथा वितरण दोनों बाधित हुए। इसलिए शहरों की खाद्य सुरक्षा को केवल शहरी बाजार का विषय मानना भ्रामक है। वह ग्रामीण उत्पादन, परिवहन गलियारों, मंडियों, भंडारण, प्रसंस्करण और खुदरा वितरण से जुड़ी एक क्षेत्रीय व्यवस्था है।

इसी प्रकार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी शहरों से अलग नहीं है। गाँवों को उर्वरक, मशीनें, वित्त, डिजिटल सेवाएँ, शिक्षा, विशेष स्वास्थ्य सेवाएँ और उत्पादों के बाजार मुख्यतः नगरों से प्राप्त होते हैं। प्रवासी श्रमिकों द्वारा भेजी जाने वाली आय अनेक ग्रामीण परिवारों के उपभोग, शिक्षा और स्वास्थ्य का आधार है। अतः शहर और गाँव को आत्मनिर्भर तथा पृथक इकाइयों के रूप में देखना वास्तविकता के अनुरूप नहीं है।

4. भारत में प्रवासी श्रमिक और ग्रामीण वापसी

भारत का ग्रामीण-शहरी प्रवास प्रायः स्थायी स्थानांतरण के बजाय चक्रीय, मौसमी और बहु-स्थानीय होता है। अनेक श्रमिक शहरों में काम करते हुए भी अपने गाँव से सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक संबंध बनाए रखते हैं। वे समय-समय पर घर लौटते हैं, कृषि में सहयोग करते हैं और कमाई का एक भाग परिवार को भेजते हैं। महामारी के दौरान यही गाँव अंतिम सामाजिक सुरक्षा-स्थल बन गए।

लॉकडाउन में बड़े पैमाने पर हुई वापसी ने तीन महत्वपूर्ण वास्तविकताएँ उजागर कीं। पहली, महानगरों की अर्थव्यवस्था में प्रवासी श्रम की केंद्रीय भूमिका होने के बावजूद शहरी प्रशासन के पास श्रमिकों की विश्वसनीय संख्या, कार्य-प्रकृति, निवास और सामाजिक आवश्यकताओं से संबंधित पर्याप्त डेटा नहीं था। दूसरी, सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ श्रमिक के बजाय स्थान से जुड़ी थीं। तीसरी, ग्रामीण क्षेत्रों में लौटने वाले लोगों की कौशल-क्षमता का स्थानीय आर्थिक उपयोग करने के लिए पर्याप्त संस्थागत व्यवस्था नहीं थी।

इस अनुभव के बाद खाद्य सुरक्षा की पोर्टेबिलिटी का महत्व बढ़ा। 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' व्यवस्था का उद्देश्य लाभार्थियों को देश के किसी भी पात्र राशन-विक्रय केंद्र से खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह सुधार महत्वपूर्ण है, परंतु केवल राशन की पोर्टेबिलिटी पर्याप्त नहीं होगी। स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व लाभ,



दुर्घटना बीमा, पेंशन, भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार लाभ, भविष्य निधि तथा बच्चों की शिक्षा जैसी सुविधाओं को भी श्रमिक के साथ स्थानान्तरित होना चाहिए।

प्रवासी श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक या परस्पर-संचालनीय सामाजिक सुरक्षा पहचान विकसित की जा सकती है। ऐसी व्यवस्था में श्रमिक के रोजगार बदलने, शहर बदलने या अस्थायी रूप से गाँव लौटने पर उसके अधिकार समाप्त न हों। इसमें निजता और डेटा सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था आवश्यक होगी। डिजिटल पंजीकरण का उद्देश्य केवल श्रमिकों की निगरानी नहीं, बल्कि उनके अधिकारों की निरंतरता सुनिश्चित करना होना चाहिए।

शहरों को प्रवासी श्रमिकों को अस्थायी बाहरी व्यक्ति के रूप में देखने के बजाय शहरी अर्थव्यवस्था के नागरिक भागीदार के रूप में स्वीकार करना होगा। नगरपालिकाओं को सस्ते किराये के आवास, श्रमिक छात्रावास, सार्वजनिक भोजन व्यवस्था, मोबाइल स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वच्छता सुविधाएँ, बाल देखभाल केंद्र और संकट-कालीन सहायता केंद्र विकसित करने चाहिए। प्रवासियों की उपस्थिति को शहरी नियोजन में एक स्थायी वास्तविकता माना जाना चाहिए।

5. ग्रामीण-शहरी मिश्रित विकास मॉडल की आवश्यकता

महामारी से यह स्पष्ट हुआ कि ग्रामीण संकट का समाधान केवल कृषि सहायता और शहरी संकट का समाधान केवल अतिरिक्त आधारभूत ढाँचा नहीं है। भारत को ऐसा ग्रामीण-शहरी मिश्रित विकास मॉडल चाहिए, जिसमें गाँव, कस्बे, मध्यम नगर और महानगर एक श्रेणीबद्ध किंतु परस्पर जुड़े नेटवर्क के रूप में विकसित हों।

इस मॉडल का पहला सिद्धांत बहु-केंद्रीय विकास है। वर्तमान में रोजगार, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश कुछ चुनिंदा महानगरों में अत्यधिक केंद्रित हैं। यदि जिला मुख्यालयों, मध्यम नगरों और ग्रामीण सेवा-केंद्रों में अस्पताल, कॉलेज, तकनीकी प्रशिक्षण, औद्योगिक क्लस्टर, बाजार, वेयरहाउस और डिजिटल सेवाएँ विकसित की जाएँ, तो लोगों को प्रत्येक आवश्यकता के लिए महानगरों की ओर जाने की आवश्यकता कम होगी।

दूसरा सिद्धांत स्थानीय और क्षेत्रीय आर्थिक विविधीकरण है। ग्रामीण विकास को केवल फसल उत्पादन तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, मत्स्यपालन, हस्तशिल्प, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रामीण पर्यटन, मरम्मत सेवाएँ, डिजिटल कार्य, स्वास्थ्य सेवा और छोटे विनिर्माण क्षेत्र रोजगार के नए स्रोत बन सकते हैं। कृषि और गैर-कृषि अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन ग्रामीण परिवारों की आय को अधिक स्थिर बनाएगा।



तीसरा सिद्धांत ग्रामीण-शहरी संपर्क है। अच्छी सड़क, सार्वजनिक परिवहन और डिजिटल नेटवर्क से गाँव में रहने वाला व्यक्ति निकटवर्ती शहर के बाजार, अस्पताल, कॉलेज और रोजगार तक पहुँच सकता है। इसका उद्देश्य प्रत्येक गाँव को शहर में बदलना नहीं, बल्कि ग्रामीण निवास को अवसरों से जोड़ना है।[2]

चौथा सिद्धांत सामाजिक और पारिस्थितिक संतुलन है। ग्रामीण क्षेत्रों को केवल उद्योगों और शहरी निर्माण के विस्तार के लिए खाली भूमि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। कृषि भूमि, जलस्रोत, जंगल, जैव विविधता और स्थानीय संस्कृति का संरक्षण ग्रामीण पुनर्जीवन का अभिन्न भाग होना चाहिए। अन्यथा शहरों का प्रदूषण और भूमि-दबाव गाँवों में स्थानांतरित हो जाएगा।

6. PURA की प्रासंगिकता और सीमाएँ

भारत में ग्रामीण-शहरी अंतर कम करने के लिए *Provision of Urban Amenities in Rural Areas* अर्थात PURA की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। इसका मूल विचार भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक, ज्ञान और आर्थिक संपर्क के माध्यम से ग्रामीण समूहों को रोजगार और शहरी स्तर की सुविधाएँ उपलब्ध कराना था। PURA का उद्देश्य गाँवों को महानगरों की प्रतिकृति बनाना नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन और आजीविका की गुणवत्ता बढ़ाना था।

कोविड-पश्चात परिस्थितियों में PURA की प्रासंगिकता पुनः बढ़ती है। यदि ग्रामीण क्लस्टरों को विश्वसनीय बिजली, ब्रॉडबैंड, सड़क, सार्वजनिक परिवहन, कौशल संस्थान, बैंकिंग, स्वास्थ्य केंद्र, भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाएँ प्राप्त हों, तो स्थानीय उद्यमिता विकसित हो सकती है। छोटे उद्योग महानगरों के अत्यधिक महँगे क्षेत्रों के बजाय जिला और उप-जिला स्तर पर स्थापित किए जा सकते हैं।

फिर भी PURA को केवल अवसंरचना निर्माण योजना के रूप में लागू करने से अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे। सड़क या भवन बना देना पर्याप्त नहीं है, जब तक उनके संचालन, रखरखाव, मानव संसाधन और स्थानीय आर्थिक उपयोग की व्यवस्था न हो। किसी ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र का भवन तभी उपयोगी होगा जब चिकित्सक, नर्स, दवाएँ, परिवहन और रेफरल प्रणाली उपलब्ध हों। इसी प्रकार इंटरनेट कनेक्शन तभी परिवर्तनकारी होगा जब वह विश्वसनीय, किफायती और पर्याप्त गति वाला हो तथा लोगों के पास डिजिटल कौशल भी हो।

इसलिए PURA के आधुनिक संस्करण में स्थानीय सरकार, समुदाय, निजी उद्यम, सहकारी संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों और शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी आवश्यक है। इसे जिला योजना, कृषि मूल्य-शृंखला, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और स्थानीय कौशल रणनीति के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

7. शहरी नियोजन और छोटे नगरों की भूमिका

भारत में ग्रामीण-शहरी परिवर्तन का बड़ा भाग छोटे कस्बों और जनगणना नगरों में घटित हो रहा है, किंतु विकास संबंधी विमर्श प्रायः महानगरों पर केंद्रित रहता है। नीति आयोग की *Reforms in Urban Planning Capacity in India* रिपोर्ट ने नियोजन क्षमता, प्रशिक्षित नगर नियोजकों की कमी और स्वस्थ नगरों के निर्माण पर बल दिया है। रिपोर्ट में 500 स्वस्थ शहरों के कार्यक्रम की अनुशंसा की गई थी।

स्वस्थ शहर की अवधारणा को केवल बड़े नगरों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। छोटे नगर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बाजार, उच्चतर विद्यालय, अस्पताल, प्रशासनिक सेवा, बैंकिंग, भंडारण और परिवहन केंद्र होते हैं। यदि ये नगर अव्यवस्थित रूप से विकसित होते हैं, तो उनमें भी बड़े शहरों जैसी समस्याएँ—अनधिकृत बस्तियाँ, जल-जमाव, कचरा, यातायात और प्रदूषण—उत्पन्न हो जाती हैं।

भारत के लिए एक 'ग्रामीण-कस्बाई क्षेत्रीय नियोजन' व्यवस्था आवश्यक है। इसमें प्रशासनिक सीमाओं के बजाय वास्तविक आवागमन, बाजार, जलस्रोत, कृषि उत्पादन, पर्यावरण और जनसंख्या परिवर्तन को आधार बनाया जाना चाहिए। जिला और महानगरीय योजना समितियों को सक्रिय करके पंचायतों तथा नगर निकायों की योजनाओं में समन्वय स्थापित किया जा सकता है।

8. यूरोप में महामारी और ग्रामीण क्षेत्रों की ओर नया झुकाव

यूरोप में महामारी के दौरान शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर स्थायी जनसंख्या-स्थानांतरण सभी देशों में समान रूप से नहीं हुआ। फिर भी आवासीय प्राथमिकताओं में परिवर्तन, उपनगरों और छोटे नगरों की बढ़ती माँग तथा दूरस्थ कार्य की स्वीकार्यता स्पष्ट रही। जिन कर्मचारियों का कार्य डिजिटल माध्यम से हो सकता था, उन्होंने बड़े शहरों के छोटे और मँहगे आवासों के बजाय अधिक खुले स्थानों वाले क्षेत्रों में रहने के विकल्प पर विचार किया।

इस बदलाव को रोमानी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ग्रामीण जीवन सभी लोगों के लिए स्वतः अधिक सुखद या सुरक्षित नहीं है। अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल दूर हैं, सार्वजनिक परिवहन सीमित है, वृद्ध जनसंख्या अधिक है और डिजिटल नेटवर्क कमजोर हैं। महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन और घर से काम जैसी सुविधाएँ उन्हीं क्षेत्रों में प्रभावी हो सकती थीं जहाँ उच्च-गति इंटरनेट उपलब्ध था।

OECD के विश्लेषण से भी स्पष्ट हुआ कि महामारी का क्षेत्रीय प्रभाव अत्यंत असमान था। अंतर केवल शहर और गाँव का नहीं था; पर्यटन पर निर्भर क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र, गरीब शहरी बस्तियाँ और वृद्ध ग्रामीण क्षेत्र अलग-अलग प्रकार से प्रभावित हुए। इससे स्थान-विशेष पर आधारित नीतियों की आवश्यकता सामने आई।



यूरोप के ग्रामीण क्षेत्रों ने संकट के दौरान सामुदायिक सहयोग और सामाजिक पूँजी की उपयोगिता भी प्रदर्शित की। स्थानीय संगठनों और स्वयंसेवकों ने बुजुर्गों तक भोजन तथा दवाएँ पहुँचाने, छोटे व्यवसायों को अनुकूलित करने और सामुदायिक सेवाओं को जारी रखने में सहयोग दिया। इससे स्पष्ट हुआ कि आपदा-लचीलापन केवल अस्पतालों, उपकरणों और सरकारी बजट पर निर्भर नहीं होता; विश्वास, स्थानीय नेटवर्क और सामुदायिक नेतृत्व भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।

9. यूरोपीय संघ की ग्रामीण दृष्टि 2040

यूरोपीय आयोग ने 2021 में *A Long-Term Vision for the EU's Rural Areas—Towards Stronger, Connected, Resilient and Prosperous Rural Areas by 2040* प्रस्तुत किया। यह दृष्टि ग्रामीण क्षेत्रों को चार परस्पर संबंधित आयामों में विकसित करने की बात करती है:

9.1 सुदृढ़ ग्रामीण समाज

इस आयाम में स्थानीय संस्थाओं, नागरिक संगठनों, महिलाओं, युवाओं और कमजोर समूहों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर है। ग्रामीण विकास को ऊपर से दी जाने वाली सहायता के बजाय स्थानीय समुदायों की क्षमता, नेतृत्व और सामाजिक नवाचार से जोड़ने का प्रयास किया गया □□□

9.2 बेहतर जुड़ाव

भौतिक परिवहन के साथ डिजिटल कनेक्टिविटी को ग्रामीण पुनर्जीवन का आधार माना गया है। विश्वसनीय ब्रॉडबैंड से दूरस्थ कार्य, ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ई-गवर्नेंस, डिजिटल उद्यमिता और स्मार्ट कृषि संभव होते हैं। संपर्क का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को उनकी विशिष्टता से वंचित करना नहीं, बल्कि निवास-स्थान और अवसरों के बीच दूरी कम करना □□□

9.3 लचीले ग्रामीण क्षेत्र

ग्रामीण इलाकों को जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़, जंगल की आग, आर्थिक मंदी और महामारी जैसे झटकों से निपटने में सक्षम बनाना इस स्तंभ का उद्देश्य है। टिकाऊ खेती, जैव विविधता, स्थानीय ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और विविधीकृत अर्थव्यवस्था को लचीलेपन से जोड़ा गया □□□

9.4 समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था

कृषि के अतिरिक्त जैव-अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, डिजिटल सेवाएँ, लघु उद्योग और रचनात्मक क्षेत्रों को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है। स्थानीय उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन से मूल्य का बड़ा भाग क्षेत्र के भीतर बनाए रखने का लक्ष्य है।

इन उद्देश्यों के लिए यूरोपीय आयोग ने Rural Action Plan और Rural Pact की व्यवस्था की। Rural Pact यूरोपीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय सरकारों के साथ नागरिक समाज, शोध संस्थानों, व्यवसायों और समुदायों को जोड़ने वाला सहयोग मंच है। यह दृष्टिकोण बहु-स्तरीय शासन और स्थानीय भागीदारी को केंद्रीय महत्व देता है।

10. ग्रामीण प्रभाव परीक्षण और स्थान-संवेदी शासन

यूरोपीय विमर्श में 'रूरल प्रूफिंग' अथवा ग्रामीण प्रभाव परीक्षण का विचार महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि किसी नई नीति, कानून, बजट या कार्यक्रम के ग्रामीण क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव का पहले से मूल्यांकन किया जाए। परिवहन, स्वास्थ्य, डिजिटल सेवा या पर्यावरण से संबंधित नीति औपचारिक रूप से पूरे देश के लिए समान हो सकती है, किंतु उसका वास्तविक प्रभाव शहर और गाँव में अलग हो सकता है।

उदाहरण के लिए, केवल डिजिटल माध्यम से सरकारी सेवा उपलब्ध कराने का निर्णय शहर में सुविधाजनक, लेकिन कमजोर इंटरनेट वाले ग्रामीण क्षेत्र में बहिष्करणकारी हो सकता है। अस्पतालों के केंद्रीकरण से प्रशासनिक लागत कम हो सकती है, परंतु दूरस्थ ग्रामीण आबादी के लिए यात्रा का समय और खर्च बढ़ सकता है। इसलिए समान नीति हमेशा समान परिणाम उत्पन्न नहीं करती।

भारत में भी ग्रामीण प्रभाव परीक्षण के साथ 'प्रवासी प्रभाव परीक्षण' और 'छोटे नगर प्रभाव परीक्षण' विकसित किए जा सकते हैं। प्रमुख नीतियों का मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि वे पंचायतों, महिलाओं, अनुसूचित समूहों, सीमांत किसानों, प्रवासी श्रमिकों और दूरस्थ क्षेत्रों को कैसे प्रभावित करेंगी।

11. भारत और यूरोपीय संघ: तुलनात्मक विश्लेषण

भारत और यूरोपीय संघ के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक अंतर हैं। भारत में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात अधिक, कृषि पर निर्भरता व्यापक और अनौपचारिक रोजगार प्रमुख है। यूरोप के अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या गिरावट और वृद्धावस्था प्रमुख चुनौती है, जबकि भारत के कई ग्रामीण क्षेत्रों में युवा आबादी और रोजगार की कमी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।

फिर भी कुछ साझा चुनौतियाँ दिखाई देती हैं। दोनों क्षेत्रों में ग्रामीण स्वास्थ्य, परिवहन, डिजिटल कनेक्टिविटी, स्थानीय रोजगार और शासन क्षमता से संबंधित अंतर मौजूद हैं। दोनों में यह स्वीकार्यता बड़ी है कि ग्रामीण नीति को केवल कृषि नीति तक सीमित नहीं किया जा सकता। दोनों संदर्भों में स्थानीय अर्थव्यवस्था के विविधीकरण, डिजिटल सेवाओं और बहु-स्तरीय शासन पर जोर दिया जा रहा है।

यूरोपीय संघ से भारत तीन प्रमुख शिक्षाएँ ग्रहण कर सकता है। पहली, ग्रामीण विकास के लिए दीर्घकालिक और स्पष्ट राष्ट्रीय दृष्टि आवश्यक है। अलग-अलग मंत्रालयों की योजनाओं को एक साझा क्षेत्रीय लक्ष्य के तहत समन्वित किया जाना चाहिए। दूसरी, ग्रामीण प्रभाव परीक्षण जैसी व्यवस्था नीति-निर्माण में स्थान-



संवेदनशीलता ला सकती है। तीसरी, Rural Pact जैसा मंच केंद्र, राज्य, पंचायत, नगर निकाय, विश्वविद्यालय, नागरिक समाज और व्यवसायों को जोड़ सकता है।

भारत का अनुभव यूरोप के लिए भी उपयोगी है। स्वयं सहायता समूहों, डिजिटल भुगतान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और बड़े पैमाने की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में भारत ने ऐसे प्रयोग किए हैं जिन्हें स्थानीय अनुकूलन के साथ अन्य क्षेत्रों में समझा जा सकता है। भारत का पंचायत तंत्र व्यापक ग्रामीण प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, यद्यपि उसकी वित्तीय और प्रशासनिक क्षमता को और मजबूत करने की आवश्यकता है।

12. डिजिटल कनेक्टिविटी और स्मार्ट विलेज

डिजिटल संपर्क कोविड-पश्चात विकास का केंद्रीय तत्व बन गया है। महामारी में शिक्षा, स्वास्थ्य परामर्श, बैंकिंग, सरकारी सहायता और अनेक रोजगार डिजिटल माध्यमों पर निर्भर हुए। लेकिन केवल मोबाइल फोन या सामान्य नेटवर्क की उपलब्धता को सार्थक डिजिटल समावेशन नहीं माना जा सकता।

सार्थक कनेक्टिविटी में कम-से-कम पाँच तत्व होते हैं: विश्वसनीय नेटवर्क, पर्याप्त गति, किफायती डेटा, उपयुक्त उपकरण और डिजिटल कौशल। इसके साथ स्थानीय भाषा में सामग्री तथा साइबर सुरक्षा भी आवश्यक हैं। किसी परिवार के पास एक स्मार्टफोन होना पर्याप्त नहीं है यदि उसी उपकरण से बच्चों की शिक्षा, अभिभावकों का काम, बैंकिंग और सरकारी सेवाएँ संचालित करनी हों।

भारत में स्मार्ट विलेज की अवधारणा को केवल वाई-फाई अथवा डिजिटल कियोस्क तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। स्मार्ट विलेज वह होगा जहाँ डिजिटल तकनीक स्थानीय समस्याओं का समाधान करे—जैसे टेलीमेडिसिन, कृषि सलाह, स्थानीय उत्पादों का ई-विपणन, ऑनलाइन प्रमाणपत्र, जल प्रबंधन, ग्रामीण परिवहन सूचना और कौशल प्रशिक्षण। तकनीक साधन है, विकास का अंतिम उद्देश्य नहीं।

डिजिटल कार्य के विस्तार से कुछ सेवा-क्षेत्र रोजगार छोटे शहरों और गाँवों तक पहुँच सकते हैं। किंतु इसके लिए विश्वसनीय बिजली, कार्यस्थल, भाषा और तकनीकी प्रशिक्षण, डेटा सुरक्षा तथा श्रम मानकों की आवश्यकता होगी। अन्यथा डिजिटल अर्थव्यवस्था नए प्रकार के असुरक्षित और कम वेतन वाले कार्य उत्पन्न कर सकती है।

13. स्थानीय आजीविका और क्षेत्रीय आपूर्ति-शृंखला

महामारी ने अत्यधिक लंबी तथा केंद्रीकृत आपूर्ति-शृंखलाओं की संवेदनशीलता स्पष्ट की। इसका अर्थ वैश्विक व्यापार समाप्त करना नहीं, बल्कि स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर की आपूर्ति प्रणालियों में संतुलन स्थापित करना है।



ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन के निकट भंडारण, शीत-शृंखला, प्राथमिक प्रसंस्करण और पैकेजिंग सुविधाएँ विकसित होने से किसानों को बेहतर मूल्य और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सकता है। जिला स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण क्लस्टर, डेयरी, मत्स्यपालन, हस्तशिल्प और सूक्ष्म विनिर्माण को परिवहन तथा ई-कॉमर्स से जोड़ना चाहिए।

‘एक जिला, एक उत्पाद’ जैसी योजनाएँ स्थानीय विशेषताओं को बाजार से जोड़ सकती हैं, परंतु गुणवत्ता, डिजाइन, मानकीकरण, वित्त, पैकेजिंग और विपणन सहयोग के बिना केवल उत्पाद की पहचान पर्याप्त नहीं होगी। स्थानीय उद्यमियों को व्यवसाय विकास सेवाएँ, तकनीकी प्रशिक्षण और सार्वजनिक खरीद में अवसर दिया जाना चाहिए।

स्थानीयकरण का अर्थ प्रत्येक वस्तु का गाँव में उत्पादन नहीं है। इसका उद्देश्य उन आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की पहचान करना है जिनका क्षेत्रीय स्तर पर उत्पादन आर्थिक तथा रणनीतिक रूप से उपयोगी हो। दवाओं, खाद्य पदार्थों, स्वच्छता सामग्री और आपदा उपकरणों की न्यूनतम विकेन्द्रीकृत क्षमता संकट के समय उपयोगी हो सकती है।

14. सामाजिक सुरक्षा और मानव गरिमा

कोविड-19 का सबसे गंभीर नैतिक पाठ यह है कि आर्थिक विकास को मानव गरिमा से अलग नहीं किया जा सकता। जिन श्रमिकों ने शहरों का निर्माण किया, परिवहन चलाया, घरों तक सामान पहुँचाया और उद्योगों को श्रम दिया, वे संकट के समय भोजन, आवास और सुरक्षित परिवहन से वंचित रहे।

भविष्य की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को रोजगार की औपचारिकता, स्थायी पते और राज्य की सीमा से कम निर्भर होना चाहिए। न्यूनतम खाद्य सुरक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, दुर्घटना संरक्षण, मातृत्व लाभ और वृद्धावस्था सुरक्षा को सार्वभौमिक अधिकारों की दिशा में विकसित किया जाना चाहिए। योगदान-आधारित योजनाओं को भी अलग-अलग नियोक्ताओं और राज्यों के बीच पोर्टेबल बनाया जाना चाहिए।

शहरी स्थानीय निकायों को प्रवासी सहायता को अस्थायी राहत गतिविधि के बजाय नियमित प्रशासनिक कार्य मानना चाहिए। पंचायतों के पास बाहर जाने वाले और लौटने वाले श्रमिकों का स्वैच्छिक तथा अधिकार-आधारित डेटाबेस हो सकता है। यह डेटा रोजगार सहायता, कौशल मिलान और संकट प्रतिक्रिया में उपयोगी होगा, बशर्ते उसका दुरुपयोग न हो।

15. सामुदायिक संस्थाएँ और आपदा-लचीलापन

महामारी ने दिखाया कि केवल केंद्रीकृत सरकारी मशीनरी प्रत्येक व्यक्ति तक समय पर नहीं पहुँच सकती। पंचायतों, नगर निकायों, स्वयं सहायता समूहों, स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों, धार्मिक संस्थाओं, विद्यालयों और स्वयंसेवकों ने भोजन वितरण, दवा, परिवहन और जागरूकता में सहयोग दिया।



इस अनुभव को संस्थागत रूप देना चाहिए। प्रत्येक पंचायत और शहरी वार्ड में स्थानीय आपदा प्रतिक्रिया योजना, प्रशिक्षित स्वयंसेवक सूची, कमजोर परिवारों की गोपनीय पहचान, सामुदायिक रसोई के संभावित स्थान और प्राथमिक चिकित्सा संसाधन निर्धारित किए जा सकते हैं। स्थानीय योजनाओं को जिला तथा राज्य आपदा प्रबंधन प्रणाली से जोड़ा जाना चाहिए।

सामाजिक पूँजी का निर्माण संकट के दौरान अचानक नहीं किया जा सकता। नियमित ग्रामसभा, मोहल्ला समिति, महिला समूह, युवा संगठन और स्थानीय संवाद विश्वास तथा सहयोग को मजबूत करते हैं। इसलिए सहभागी शासन स्वयं में आपदा तैयारी का एक रूप है।

16. भारत के लिए नीतिगत सुझाव

भारत के लिए निम्नलिखित नीति-दिशाएँ उपयोगी हो सकती हैं:

16.1 राष्ट्रीय ग्रामीण-शहरी संपर्क नीति

गाँव, कस्बे और शहरों को अलग-अलग मंत्रालयों तथा योजनाओं में बाँटने के बजाय आवागमन, बाजार, श्रम और पर्यावरण पर आधारित क्षेत्रीय नीति बनाई □□□□

16.2 छोटे और मध्यम नगरों में निवेश

जिला मुख्यालयों और छोटे नगरों में अस्पताल, उच्च शिक्षा, सार्वजनिक परिवहन, जल-निकासी, कचरा प्रबंधन और किराये के आवास विकसित किए जाएँ। इससे महानगरों पर दबाव कम □□□□□

16.3 आधुनिक PURA क्लस्टर

भौतिक, डिजिटल, ज्ञान और आर्थिक संपर्क को एकीकृत करते हुए ग्रामीण क्लस्टर विकसित किए जाएँ। प्रत्येक क्लस्टर को स्थानीय संसाधन तथा कौशल के अनुसार आर्थिक विशेषता दी जा सकती □□□

16.4 सामाजिक सुरक्षा की पूर्ण पोर्टेबिलिटी

राशन के साथ स्वास्थ्य, बीमा, पेंशन, मातृत्व लाभ और श्रमिक कल्याण योजनाओं को भी अंतरराज्यीय रूप से पोर्टेबल बनाया जाए।

16.5 स्थानीय रोजगार एवं कौशल मिलान

जिलों में लौटे प्रवासियों और स्थानीय युवाओं के कौशल का मानचित्रण कर उन्हें उद्योग, निर्माण, कृषि प्रसंस्करण और डिजिटल सेवाओं से जोड़ा जाए।



16.6 ग्रामीण डिजिटल अधिकार

उच्च-गति इंटरनेट को आवश्यक सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में देखा जाए। सार्वजनिक डिजिटल केंद्रों, उपकरण-सहायता और डिजिटल साक्षरता पर समान ध्यान दिया □□□□

16.7 ग्रामीण प्रभाव परीक्षण

राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रमुख नीतियों का ग्रामीण, जनजातीय, प्रवासी और छोटे नगरों पर प्रभाव पहले से आंका जाए।

16.8 स्थानीय निकायों का सशक्तीकरण

पंचायतों तथा नगरपालिकाओं को पर्याप्त वित्त, प्रशिक्षित कर्मचारी, डेटा और तकनीकी सहायता प्रदान की जाए। जिम्मेदारी सौंपने के साथ संसाधन भी दिए जाने चाहिए।

16.9 विकेंद्रीकृत स्वास्थ्य व्यवस्था

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों, टेलीमेडिसिन, मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों और आपातकालीन परिवहन को एकीकृत नेटवर्क के रूप में विकसित किया जाए।

16.10 स्थानीय आपदा प्रतिक्रिया नेटवर्क

पंचायत और वार्ड स्तर पर समुदाय-आधारित स्वयंसेवक नेटवर्क, आपात भोजन व्यवस्था, औषधि आपूर्ति और कमजोर नागरिक सहायता प्रणाली बनाई जाए।

17. निष्कर्ष

कोविड-19 महामारी ने मानवता को अपनी विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा करने का अवसर दिया। महामारी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह नहीं है कि लोगों को शहर छोड़कर गाँवों में लौट जाना चाहिए। वास्तविक संदेश यह है कि अत्यधिक केंद्रीकृत, असमान और सामाजिक सुरक्षा से रहित विकास व्यवस्था संकट के समय टिकाऊ नहीं होती।

शहर नवाचार, उद्योग, शिक्षा और आर्थिक अवसरों के केंद्र हैं। गाँव खाद्य उत्पादन, प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक निरंतरता और सामाजिक सहयोग के आधार हैं। छोटे नगर दोनों के बीच आवश्यक सेतु हैं। इनमें से किसी एक को दूसरे की कीमत पर विकसित करना दीर्घकालीन असंतुलन उत्पन्न करता है।

भारत को ग्रामीण आत्मनिर्भरता और शहरी आधुनिकता के बीच कृत्रिम चुनाव करने की आवश्यकता नहीं है। उचित दिशा एक ऐसे बहु-केंद्रीय विकास नेटवर्क की है जिसमें लोग गाँव में रहते हुए भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा,



स्वास्थ्य, डिजिटल सेवाओं और बाजार तक पहुँच सकें; छोटे नगर क्षेत्रीय रोजगार केंद्र बनें; और महानगर सुरक्षित, समावेशी तथा प्रवासी-अनुकूल बनाए जाएँ।

यूरोपीय संघ की ग्रामीण दृष्टि 2040 यह प्रदर्शित करती है कि विकसित अर्थव्यवस्थाएँ भी ग्रामीण प्रश्न को केवल कृषि तक सीमित नहीं रख सकतीं। डिजिटल परिवर्तन, जलवायु लचीलापन, स्थानीय नेतृत्व और क्षेत्रीय समानता भविष्य के ग्रामीण विकास के प्रमुख आधार हैं। भारत में PURA, पंचायत व्यवस्था, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, स्वयं सहायता समूह और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम इस दिशा में आधार प्रदान करते हैं, किंतु इनके बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है।

अंततः विकास का उद्देश्य केवल सकल घरेलू उत्पाद, गगनचुंबी इमारतें अथवा चमकती सड़कें नहीं हो सकता। जीवन की गुणवत्ता में सुरक्षित आवास, सम्मानजनक काम, सामुदायिक सहयोग, स्वच्छ पर्यावरण, स्थानीय खाद्य सुरक्षा और संकट के समय संस्थागत संरक्षण भी शामिल हैं। भविष्य की विकास नीति तभी न्यायपूर्ण और लचीली होगी जब कोई व्यक्ति अपनी भौगोलिक स्थिति, प्रवासी पहचान या रोजगार की अनौपचारिकता के कारण पीछे न छूटे। ग्रामीण और शहरी भारत का संतुलित उत्थान ही भविष्य की महामारियों, जलवायु आपदाओं और आर्थिक व्यवधानों के विरुद्ध देश की सबसे विश्वसनीय ढाल बन सकता है।

टिप्पणियाँ/Notes

[1] इस अध्ययन में 'यूरोप' और 'यूरोपीय संघ' को समानार्थी नहीं माना गया है। यूरोपीय संघ के संस्थागत दस्तावेज मुख्यतः उसके सदस्य देशों पर लागू होते हैं, जबकि ब्रिटेन सहित अन्य यूरोपीय देशों के अनुभव अलग राजनीतिक और नीतिगत व्यवस्थाओं से संबंधित हो सकते हैं।

[2] ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएँ उपलब्ध कराने का अर्थ गाँवों की सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक विशेषताओं को समाप्त करना नहीं है। इसका उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और आजीविका के समान अवसर देना है।

[3] जनसंख्या घनत्व और महामारी प्रसार के बीच संबंध सीधा तथा सार्वभौमिक नहीं है। नियोजित घनत्व, पर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षित आवास वाले शहर अनियोजित तथा भीड़भाड़ वाले कम घनत्व क्षेत्रों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।

[4] 'स्थानीयकरण' से आशय पूर्ण आर्थिक आत्मनिर्भरता या बाहरी व्यापार के विरोध से नहीं है। इसका आशय आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के लिए स्थानीय तथा क्षेत्रीय क्षमता बढ़ाकर अत्यधिक केंद्रीकृत आपूर्ति-शृंखला पर निर्भरता कम करना है।



[5] प्रवासी श्रमिकों का डिजिटल पंजीकरण अधिकार-आधारित, स्वैच्छिक, पारदर्शी और डेटा-सुरक्षा के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। पंजीकरण का उपयोग पुलिस निगरानी, आवाजाही नियंत्रण या कल्याणकारी लाभ से वंचित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

[6] स्मार्ट विलेज को केवल तकनीकी परियोजना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। डिजिटल तकनीक तभी उपयोगी है जब वह स्थानीय समुदाय की प्राथमिकताओं, सामाजिक समावेशन और सार्वजनिक सेवाओं के सुधार से जुड़ी हो।

संदर्भ/References

Bock, A. K., & Krzysztofowicz, M. (2021). *Scenarios for EU rural areas 2040: Contribution to the European Commission's long-term vision for rural areas*. Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2760/29388>

European Commission. (2021a). *A long-term vision for the EU's rural areas: Towards stronger, connected, resilient and prosperous rural areas by 2040 (COM/2021/345 final)*. Publications Office of the European Union.

European Commission. (2021b). *Rural action plan: A long-term vision for the EU's rural areas*. Directorate-General for Agriculture and Rural Development.

European Commission. (2021c). *Synthesis of the online public consultation on the long-term vision for the EU's rural areas*. Directorate-General for Agriculture and Rural Development.

European Commission. (2021d). *Flash Eurobarometer 491: A long-term vision for EU rural areas*. Publications Office of the European Union.

European Commission. (2024). *The long-term vision for the EU's rural areas: Key achievements and ways forward*. Publications Office of the European Union.

Government of India. (2008). *Provision of urban amenities in rural areas: Scheme guidelines*. Ministry of Rural Development.

Government of India. (2020). *Affordable rental housing complexes: Operational guidelines*. Ministry of Housing and Urban Affairs.

Government of India. (2021). *One Nation One Ration Card plan*. Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution.

International Labour Organization. (2020). *ILO monitor: COVID-19 and the world of work* (6th ed.). International Labour Office.

Marshallian, M., Chan, P., & Bournisien de Valmont, M. (2023). *Networks and rural-urban linkages for rural innovation* (OECD Regional Development Papers No. 53). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/4928f26b-en>

NITI Aayog. (2021). *Reforms in urban planning capacity in India*. Government of India.



Organisation for Economic Co-operation and Development. (2013). *Rural–urban partnerships: An integrated approach to economic development*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264204812-en>

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020a). *From pandemic to recovery: Local employment and economic development*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/879d2913-en>

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020b). *Policy implications of coronavirus crisis for rural development*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/6b9d189a-en>

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020c). *The impact of the COVID-19 crisis on regional and local governments: Main findings from the joint CoR–OECD survey* (OECD Regional Development Papers No. 5). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/fb952497-en>

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021a). *OECD regional outlook 2021: Addressing COVID-19 and moving to net zero greenhouse gas emissions*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/17017efe-en>

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021b). *The territorial impact of COVID-19: Managing the crisis and recovery across levels of government*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/a2c6abaf-en>

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). *The Sustainable Development Goals as a framework for COVID-19 recovery in cities and regions* (OECD Regional Development Papers No. 26). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/6d25b59b-en>

United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. United Nations General Assembly.

United Nations Human Settlements Programme. (2020). *Cities and pandemics: Towards a more just, green and healthy future*. UN-Habitat.

World Bank. (2020). *COVID-19 crisis through a migration lens*. World Bank Group.

World Bank. (2021). *Resilient recovery: The case for integrating rural and urban development*. World Bank Group.